

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

किरण कुमार बनाम दीपक कौर
 किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 28 / सन 2020

| | | |
|-------------|-----------------------------------|--|
| दि. क्र. म. | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए |
|-------------|-----------------------------------|--|

वकील वादी उपस्थित।

वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 92A RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का भी पेश किया हैं जो सामिल मिसल हो। हसब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 28 के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/8/2020 को पेश हो।

398
19/8/2020

[Signature]
 सहायक कलक्टर एवं
 पदेन उपखण्ड अधिकारी,
 जैतारण (पाली)

11/8/20 पत्रावली पेश हुई।

वकील मदन वादी ने जज पत्र दिनांक 20/7/20 को पेश किया कि वादी द्वारा जन्म वाद व चार्ज मिशेदका के ज.पत्र में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य शर्तीनाम है जाने है वादी मदन उक्त पत्र में उक्ति के विरुद्ध मदन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते है। इसलिए वादी के वाद व ज.पत्र को जरिये विड्रोल् खासिद करदावे। ज.पत्र जा. मि. हो।

पत्रावली व ज.पत्र को अवलोकन किया जावें। मदन वादी को वाद जरिये विड्रोल् खासिद किफा जावें है। पत्रावली कोणल सुनाए होत नबत के करत है। वाद रुकील जावें दादिवल दखत लेखा। मदन जज है।

